

न्यायालयः— श्रीमती पदमा राजौरे तिवारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन (म0प्र0)  
क्रमांक 1107 / आप. / 2023

खरगोन, दि. 26 / 07 / 2023

.. आदेश ..

मैं श्रीमती पदमा राजौरे तिवारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन जिला—मण्डलेश्वर (म.प्र.) इस आदेश द्वारा न्यायिक जिला मण्डलेश्वर में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारियों को माह अगस्त—2023 में आने वाले समस्त सार्वजनिक अवकाशों में न्यायिक कार्य के सुचारू रूप से संचालन हेतु उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथियों के लिए अधिकृत किया जाता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्न दर्शित तिथियों को दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य रिमांड ड्यूटी का सम्पादन करेंगे।

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पद	माह	रिमांड ड्यूटी दिनांक
1	श्री राजेन्द्र कुमार अहिरवार, जेएमएफसी खरगोन	अगस्त	6, 30
2	सुश्री अंजली पटेल जेएमएफसी खरगोन	अगस्त	13, 20,
3	श्री राज पांडे जेएमएफसी खरगोन	अगस्त	19, 15, 27
4	श्री महेन्द्र सिंह जेएमएफसी मण्डलेश्वर	अगस्त	संपूर्ण सार्वजनिक अवकाशों में
5	श्री जितेन्द्र रावत जेएमएफसी महेश्वर	अगस्त	संपूर्ण सार्वजनिक अवकाशों में
6	श्री विवेक जैन जेएमएफसी कसरावद	अगस्त	संपूर्ण सार्वजनिक अवकाशों में
7	सुश्री विकसीता मरकाम जेएमएफसी, बडवाह	अगस्त	19, 20
8	श्रीमती आरती सिंह, जेएमएफसी, बडवाह	अगस्त	15, 27
9	श्री मुकेश कुमार कौरी जेएमएफसी, बडवाह	अगस्त	6, 13, 30
10	श्री सुशील गेहलोत जेएमएफसी, सनावद	अगस्त	15, 27, 30
11	सुश्री पूर्वी तिवारी जेएमएफसी, सनावद	अगस्त	6, 13, 19, 20
12	श्री राकेश भिडे जेएमएफसी भीकनगाँव	अगस्त	संपूर्ण सार्वजनिक अवकाशों में

नोटः—

1— जहाँ एक से अधिक न्यायिक अधिकारी हों, वे आपस में लिखित में सहमति बनाकर रिमांड ड्यूटी परिवर्तित करने की लिखित सूचना माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, प.निमाड मण्डलेश्वर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेजेंगे तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की अनुमति के उपरांत ही रिमांड ड्यूटी परिवर्तित मानी जायेगी।

2— यदि किसी न्यायिक अधिकारी को, जिसकी रिमांड ड्यूटी लगी है तथा उसे अपरिहार्य कारणवश अवकाश में जाना आवश्यक है तो वह उसी क्रम में आगे रिमांड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी को लिखित सूचना देकर एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की अनुमति प्राप्त होने पर ही अवकाश का उपभोग करेंगे।

3— माह में यदि कोई अवकाश घोषित होता है तो मुख्यालय पर उसकी निरन्तरता वाली तिथि से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड का कार्य संपादित करेंगे। अवकाश पर रहने वाले अधिकारी का कार्य प्रभार में आने वाले अधिकारी संपन्न करेंगे।

4— यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होता है तो उक्त अधिकारी के स्थान पर पदभार ग्रहण करने वाले मजिस्ट्रेट रिमांड ड्यूटी संपादित करेंगे। मजिस्ट्रेट का पद रिक्त होने अथवा पदभार ग्रहण न करने की दशा में रिमांड ड्यूटी उसी क्रम में आगे रिमांड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट संपादित करेंगे।

5— यदि रिमांड ड्यूटी हेतु निधारित तिथियों में माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा कोई प्रोटोकॉल ड्यूटी अधिरोपित की जाती है तो संबंधित अधिकारिता में रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा ही सुचारू रूप से प्रोटोकॉल ड्यूटी के निष्पादन में आवश्यक सहयोग किया जावेगा।

6— यदि रिमांड ड्यूटी के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी की रिमांड पेश होने पर या फरारी वारंटी को गिरफतार कर न्यायालय में पेश किए जाने पर संबंधित थाना क्षेत्र के न्यायालय द्वारा कार्यवाही सम्पादित की जा सकेगी।

(पदमा राजौरे तिवारी)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन  
जिला—मण्डलेश्वर (म.प्र.)

पृष्ठाकंन क्रमांक 1108 /आप./ 2023

खरगोन, दिनांक 26 /07 /2023

प्रतिलिपि:-

- 1— माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2— श्रीमान् कलेक्टर, खरगोन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3— श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, खरगोन को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि रिमांड ड्यूटी आदेश से संबंधितों को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 4— श्री.....न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी खरगोन/भीकनगाँव/सनावद/बडवाह/मण्डलेश्वर/महेश्वर/कसरावद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 5— जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन को सूचनार्थ प्रेषित।
- 6— अध्यक्ष अभिषाषक संघ, खरगोन/भीकनगाँव/सनावद/बडवाह/मण्डलेश्वर, महेश्वर/कसरावद की ओर सूचना पटल पर चर्चा करने हेतु प्रेषित।

(पदमा राजौरे तिवारी)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन  
जिला—मण्डलेश्वर (म.प्र.)